



अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं० : 06453-222001(का०)
06453-222102(आ०)
फैक्स सं० : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

बाढ़ एवं अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले परिवारों को सुरक्षा एवं सहाय्य मुहैया कराने के निम्न पॉलिथीन शीट्स के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। पॉलिथीन शीट्स के संदर्भ में प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदित दर की आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स पारस इन्टरप्राइजेज, पटना की निविदा को दिनांक 30.06.2015 को आहत जिला क्रय समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया। स्वीकृत फर्म को बाढ़ एवं अग्निकाण्ड के मद्देनजर निविदा में दिये गये शर्तों के आलोक में निम्नांकित विशिष्टियों एवं विवरणों के अनुरूप पॉलिथीन शीट्स आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	आकार	मात्रा	निर्धारित दर
1	2	3	4	5	6
1	पारस इन्टरप्राइजेज, पटना	Low density Polyethylene Black Sheets of 250 Micrometer	4X5 Meter	4000 शीट्स	150.00 (एक सौ पचास) रुपये प्रति किलोग्राम [सभी कर, अधिभार शुल्क एवं परिवहन व्यय सहित।]

1. आपूर्तिकर्ता को पॉलिथीन शीट्स की आपूर्ति ऊपर दिये गये विवरण के आलोक में निविदा में संलग्न नमूना के अनुरूप करनी होगी।

2. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रखण्ड कार्यालय, अररिया के परिसर में अवस्थित जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, अररिया के गोदाम (वियर हाउस) में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी एवं जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

3. आपूर्ति पॉलिथीन शीट्स के नमूने की जाँच निविदा में संलग्न नमूने के अनुसार Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Hajipur से करवाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

4. आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।

5. आपूर्तिकर्ता फर्म को अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) की छयाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बिना भुगतान की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया